# INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS

Open Access, Refereed Journal Multi Disciplinary Peer Reviewed

www.ijlra.com

ISSN: 2582-6433

# DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted, or distributed in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the Managing Editor of the *International Journal for Legal Research & Analysis (IJLRA)*.

The views, opinions, interpretations, and conclusions expressed in the articles published in this journal are solely those of the respective authors. They do not necessarily reflect the views of the Editorial Board, Editors, Reviewers, Advisors, or the Publisher of IJLRA.

Although every reasonable effort has been made to ensure the accuracy, authenticity, and proper citation of the content published in this journal, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible, in any manner whatsoever, for any loss, damage, or consequence arising from the use, reliance upon, or interpretation of the information contained in this publication.

The content published herein is intended solely for academic and informational purposes and shall not be construed as legal advice or professional opinion.

**Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis. All rights reserved.**

# ABOUT US

The *International Journal for Legal Research & Analysis (IJLRA)* (ISSN: 2582-6433) is a peer-reviewed, academic, online journal published on a monthly basis. The journal aims to provide a comprehensive and interactive platform for the publication of original and high-quality legal research.

IJLRA publishes Short Articles, Long Articles, Research Papers, Case Comments, Book Reviews, Essays, and interdisciplinary studies in the field of law and allied disciplines. The journal seeks to promote critical analysis and informed discourse on contemporary legal, social, and policy issues.

The primary objective of IJLRA is to enhance academic engagement and scholarly dialogue among law students, researchers, academicians, legal professionals, and members of the Bar and Bench. The journal endeavours to establish itself as a credible and widely cited academic publication through the publication of original, well-researched, and analytically sound contributions.

IJLRA welcomes submissions from all branches of law, provided the work is original, unpublished, and submitted in accordance with the prescribed submission guidelines. All manuscripts are subject to a rigorous peer-review process to ensure academic quality, originality, and relevance.

Through its publications, the *International Journal for Legal Research & Analysis* aspires to contribute meaningfully to legal scholarship and the development of law as an instrument of justice and social progress.

# *PUBLICATION ETHICS, COPYRIGHT & AUTHOR RESPONSIBILITY STATEMENT*

The *International Journal for Legal Research and Analysis (IJLRA)* is committed to upholding the highest standards of publication ethics and academic integrity. All manuscripts submitted to the journal must be original, unpublished, and free from plagiarism, data fabrication, falsification, or any form of unethical research or publication practice. Authors are solely responsible for the accuracy, originality, legality, and ethical compliance of their work and must ensure that all sources are properly cited and that necessary permissions for any third-party copyrighted material have been duly obtained prior to submission. Copyright in all published articles vests with IJLRA, unless otherwise expressly stated, and authors grant the journal the irrevocable right to publish, reproduce, distribute, and archive their work in print and electronic formats. The views and opinions expressed in the articles are those of the authors alone and do not reflect the views of the Editors, Editorial Board, Reviewers, or Publisher. IJLRA shall not be liable for any loss, damage, claim, or legal consequence arising from the use, reliance upon, or interpretation of the content published. By submitting a manuscript, the author(s) agree to fully indemnify and hold harmless the journal, its Editor-in-Chief, Editors, Editorial Board, Reviewers, Advisors, Publisher, and Management against any claims, liabilities, or legal proceedings arising out of plagiarism, copyright infringement, defamation, breach of confidentiality, or violation of third-party rights. The journal reserves the absolute right to reject, withdraw, retract, or remove any manuscript or published article in case of ethical or legal violations, without incurring any liability.

ISSN: 2582-6433

# सूचना प्रौद्योगिकी और बाल अपराध: साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्ष्य एवं विधिक प्रवर्तन का दुर्ग जिला आधारित विश्लेषण

**लेखक - [1]मुकुंद कुमार पांडेय, [2]डॉ. नरेन्द्र कुमार सिंह**

[1]शोधार्थी, [2]सहायक प्राध्यापक

[1,2] विधि विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर (छत्तीसगढ़, भारत)

## सार

सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने वैश्विक स्तर पर एक नए डिजिटल समाज का निर्माण किया है, जहाँ साइबर स्पेस शिक्षा, संचार, बैंकिंग, मनोरंजन तथा सामाजिक सहभागिता का प्रमुख माध्यम बन गया है। यद्यपि इस तकनीकी परिवर्तन ने सामाजिक एवं आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं, किंतु इसके साथ ही बच्चों एवं किशोरों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों तथा स्वयं किशोरों द्वारा किए जाने वाले डिजिटल विधिक उल्लंघनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन यौन शोषण, साइबर ग्रूमिंग, पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित अपराध तथा सोशल मीडिया आधारित विधिक उल्लंघन वर्तमान समय की प्रमुख चुनौतियाँ बनकर उभरे हैं। इन परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रभावी विधिक संरक्षण सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं न्यायिक आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी एवं बाल अपराध के मध्य अंतर्संबंधों का सामाजिक-विधिक विश्लेषण करना है। अध्ययन में विशेष रूप से किशोरों में इंटरनेट, सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती निर्भरता के सामाजिक-विधिक कारणों की पहचान, डिजिटल साक्ष्यों के संकलन में पुलिस एवं साइबर सेल के समक्ष आने वाली तकनीकी एवं विधिक चुनौतियों का मूल्यांकन तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 सहित प्रासंगिक विधिक प्रावधानों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है।

**कुंजी शब्द:** सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस, बाल अपराध, साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, POCSO अधिनियम.

# 1. प्रस्तावना

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने एक समानांतर आभासी दुनिया का निर्माण किया है, जिसे 'साइबर स्पेस' कहा जाता है। यह एक ऐसा अमूर्त और वैश्विक नेटवर्क है जहां भौगोलिक दूरियां समाप्त हो जाती हैं और उपयोगकर्ता डिजिटल माध्यमों से दुनिया के किसी भी कोने में संवाद कर सकते हैं। वर्तमान में, स्मार्टफोन और किफायती डेटा योजनाओं के कारण समाज का हर वर्ग इस डिजिटल स्पेस का हिस्सा बन चुका है, जिससे एक नए 'डिजिटल समाज' का प्रादुर्भाव हुआ है। इस डिजिटल समाज में शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग और सामाजिक जुड़ाव पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुके हैं। बच्चे और किशोर इस डिजिटल युग के सबसे सक्रिय उपभोक्ता हैं। वे अक्सर पर्याप्त डिजिटल साक्षरता के अभाव में इस असीमित सूचनाओं के भंडार में प्रवेश कर रहे हैं। साइबर स्पेस की कुछ विशेषताएं जैसे कि गोपनीयता और त्वरित पहुंच इसे अपराधियों के लिए एक माध्यम बना देती हैं, जहां वे किशोरों को लक्षित कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस प्रसार ने बाल अपराध और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के पारंपरिक प्रतिमानों को प्रभावित किया है। अतीत में, ऐसे अपराध मुख्य रूप से भौतिक स्थानों जैसे कि स्कूल या पड़ोस तक ही सीमित होते थे। परंतु वर्तमान डिजिटल युग में, इन विधिक उल्लंघनों की प्रकृति अधिक जटिल हो गई है। अब बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध डिजिटल स्पेस के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, जिसमें साइबर प्रताड़ना, डिजिटल हेरफेर और विधिक रूप से प्रतिबंधित हानिकारक डिजिटल सामग्री का प्रसार शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्वयं किशोरों द्वारा किए जाने वाले विधिक उल्लंघनों में भी बदलाव आया है; किशोर अब ऑनलाइन गतिविधियों के कारण वित्तीय अनियमितताओं और सोशल मीडिया पर मानहानि जैसे कृत्यों में अनजाने या जानबूझकर संलिप्त हो रहे हैं। दुर्ग जिले के स्थानीय आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इंटरनेट के अनियंत्रित उपयोग के कारण किशोरों में विधिक उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है।

## 1.1 समस्या का प्रतिपादन

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में साइबर स्पेस ने भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर एक वैश्विक समाज का निर्माण किया है, परंतु इसी तकनीक ने विधिक व्यवस्था के समक्ष 'डिजिटल बाल अपराध' के रूप में एक अत्यंत जटिल समस्या को जन्म दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य का दुर्ग जिला, जो कि एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है, वर्तमान में इस समस्या से गहराई से प्रभावित है। दुर्ग जिले में भिलाई और दुर्ग जैसे

सुरेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, क्रिमिनल लॉ जर्नल (CrLJ), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, 2023, पृ. 89.
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, धारा 2(35) [विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की परिभाषा]।
डॉ. अजीत कुमार, साइबर कानून और बाल संरक्षण, लॉमैन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2024, पृ. 154-156.
दुर्ग जिला न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) वार्षिक विधिक समीक्षा रिपोर्ट, 2025, पृ. 45.

शहरी क्षेत्रों में कोचिंग संस्थानों, तकनीकी विश्वविद्यालयों और स्कूलों की प्रचुरता के कारण किशोरों के पास स्मार्टफोन, हाई-स्पीड इंटरनेट और कंप्यूटर संसाधनों की उपलब्धता राज्य के अन्य जिलों की तुलना में काफी अधिक है। समस्या का मुख्य बिंदु यह है कि तकनीक की यह असीमित पहुंच बिना किसी विधिक साक्षरता या संस्थागत निगरानी के बच्चों को प्राप्त हो रही है, जिससे वे अनजाने में साइबर अपराधियों के आसान शिकार बन रहे हैं, या स्वयं विधिक उल्लंघनकारी गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं।

### 1.2 अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य

इस अध्ययन का मुख्य औचित्य डिजिटल समाज में बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के विधिक शून्य को रेखांकित करना है। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के अपराध आंकड़े लगातार यह दर्शा रहे हैं कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों और स्वयं किशोरों द्वारा किए जाने वाले तकनीकी विधिक उल्लंघनों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। दुर्ग जिले में कामकाजी अभिभावकों की अधिकता और एकल परिवारों के बढ़ते चलन के कारण बच्चों में 'स्क्रीन टाइम' बढ़ा है, जिससे वे बिना किसी संस्थागत या पारिवारिक फिल्टर के डार्क वेब, अश्लील विजुअल्स और ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के संपर्क में आ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, किशोरों में न केवल यौन अपराधों से संबंधित सामग्रियों के व्यावसायिक उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ी है, बल्कि वे वित्तीय धोखाधड़ी के जाल में भी फंस रहे हैं। यह अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल सैद्धांतिक विधिक नियमों का विश्लेषण करता है, बल्कि दुर्ग जिले के पॉक्सो कोर्ट और स्थानीय साइबर सेल के व्यावहारिक अनुभवों तथा चुनौतियों को भी सामने लाता है।

### 1.3 अध्ययन के उद्देश्य

1. दुर्ग जिले में किशोरों के बीच इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत को बढ़ावा देने वाले सामाजिक-विधिक कारकों की पहचान करना।
2. इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल साक्ष्यों के संकलन में दुर्ग जिला पुलिस और साइबर सेल के समक्ष आने वाली तकनीकी तथा विधिक चुनौतियों का आकलन करना।

### 1.4 शोध की परिकल्पनाएँ

**तृतीय परिकल्पना ($H_3$):** एन्क्रिप्शन एवं डेटा डिलीट करने वाली तकनीकों के कारण दुर्ग जिला पुलिस

---

दुर्ग जिला सांख्यिकी पुस्तिका, योजना एवं सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, पृ. 12-15.
डॉ. एन. वी. परांजपे, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी विद विक्टिमोलॉजी, सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, 2021, पृ. 412.
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 2(1)(ब) [साइबर स्पेस और डिजिटल नेटवर्क की परिभाषा]।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB), क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 235-240.
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012, धारा 14।

ISSN: 2582-6433

को डिजिटल साक्ष्यों के विधिक संकलन में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

**शून्य परिकल्पना** **($H_0$)** एन्क्रिप्शन एवं डेटा डिलीट करने वाली तकनीकों का दुर्ग जिला पुलिस द्वारा डिजिटल साक्ष्यों के विधिक संकलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।

**चतुर्थ परिकल्पना** **($H_4$):** विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण की कमी के कारण दुर्ग जिले की विशेष अदालतों में डिजिटल बाल अपराधों के मामलों में दोषसिद्धि की दर कम है।

**शून्य परिकल्पना** **($H_0$):** विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण की कमी का दुर्ग जिले की विशेष अदालतों में डिजिटल बाल अपराधों के मामलों की दोषसिद्धि दर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।

## 2. अनुसंधान पद्धति

### 2.1 अनुसंधान का प्रकार

प्रस्तुत शोध "सूचना प्रौद्योगिकी और बाल अपराध पर आधारित दुर्ग जिले का विधिक अध्ययन" विषय पर आधारित है। विषय की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस अध्ययन में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा अनुभवजन्य अनुसंधान पद्धति का समन्वित रूप से उपयोग किया गया है। शोध का उद्देश्य केवल सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से घटित होने वाले बाल अपराधों की प्रकृति एवं स्वरूप का वर्णन करना नहीं है, बल्कि इन अपराधों के संबंध में विद्यमान विधिक व्यवस्था की प्रभावशीलता, उसकी सीमाओं तथा व्यवहारिक क्रियान्वयन का समालोचनात्मक परीक्षण करना भी है। इसी कारण अध्ययन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के अनुसंधान दृष्टिकोणों को अपनाया गया है।

यह शोध मुख्यतः सामाजिक-विधिक प्रकृति का है, क्योंकि इसमें विधिक प्रावधानों का अध्ययन केवल सैद्धांतिक स्तर तक सीमित न रहकर उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन का मूल्यांकन भी किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 सहित अन्य प्रासंगिक विधियों एवं न्यायालयों के निर्णयों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह भी परीक्षण किया गया है कि इन विधिक प्रावधानों का दुर्ग जिले में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बाल अपराधों के नियंत्रण, अन्वेषण, अभियोजन तथा न्यायिक निस्तारण में किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है।

### 2.2 प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य

प्राथमिक तथ्यों का संकलन दुर्ग जिले में चयनित उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर किया गया है। इसके लिए सुव्यवस्थित प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची तथा आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत संवाद

ISSN: 2582-6433

की विधियों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में पुलिस विभाग के अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े विधि विशेषज्ञ, शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, अभिभावक, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तथा सामान्य नागरिकों को सम्मिलित किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन विभिन्न प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से किया गया है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों एवं नियमों का अध्ययन सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) की अपराध संबंधी रिपोर्टों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल तथा राज्य एवं जिला स्तर के सरकारी अभिलेखों का भी उपयोग किया गया है।

### 2.3 नमूना चयन

प्रस्तुत शोध "सूचना प्रौद्योगिकी और बाल अपराध पर आधारित दुर्ग जिले का विधिक अध्ययन" पर केंद्रित है। अध्ययन की प्रकृति सामाजिक-विधिक एवं अनुभवजन्य होने के कारण नमूना चयन की प्रक्रिया इस प्रकार निर्धारित की गई है कि अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। चूँकि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बाल अपराध एक बहुआयामी विषय है, अतः इसके विधिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी पक्षों का समग्र मूल्यांकन करने के लिए विविध वर्गों से उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

अनुभवजन्य अध्ययन के लिए दुर्ग जिले के शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों को अध्ययन क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। अध्ययन में कुल 500 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, बाल अपराधों की प्रकृति, साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता, विधिक संरक्षण, अन्वेषण प्रक्रिया तथा वर्तमान विधिक व्यवस्था की प्रभावशीलता का समग्र मूल्यांकन किया जा सके। चयनित उत्तरदाताओं में पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े विधि विशेषज्ञ, विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, अभिभावक, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तथा सामान्य नागरिक सम्मिलित हैं। विभिन्न वर्गों की सहभागिता से प्राप्त तथ्यों ने अध्ययन को अधिक संतुलित, निष्पक्ष एवं यथार्थपरक स्वरूप प्रदान किया है।

ISSN: 2582-6433

### 2.4 अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य का दुर्ग जिला है। दुर्ग जिले का चयन इस आधार पर किया गया है कि यह राज्य के प्रमुख औद्योगिक, शैक्षणिक एवं नगरीय जिलों में से एक है, जहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग तथा ई-गवर्नेंस सेवाओं के व्यापक प्रसार ने नागरिकों, विशेषकर बच्चों एवं किशोरों के जीवन को डिजिटल माध्यमों से गहराई से जोड़ दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस तीव्र विस्तार के साथ-साथ साइबर अपराधों एवं बाल अपराधों की प्रकृति में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। यही कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी और बाल अपराध के मध्य संबंधों का विधिक अध्ययन करने के लिए दुर्ग जिले को उपयुक्त एवं प्रतिनिधिक अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है।

## 3. सांख्यिकीय विश्लेषण एवं परिकल्पना परीक्षण

### 3.1 परिचय

प्रस्तुत शोध "सूचना प्रौद्योगिकी और बाल अपराध पर आधारित दुर्ग जिले का विधिक अध्ययन" का यह अध्याय अनुसंधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक भाग है। पूर्ववर्ती अध्यायों में विषय की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, विधिक आधार, उपलब्ध साहित्य तथा दुर्ग जिले में किए गए अनुभवजन्य अध्ययन का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान अध्याय में अध्ययन के दौरान प्राथमिक स्रोतों से संकलित तथ्यों का वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है, जिससे अनुसंधान के उद्देश्यों की प्राप्ति, परिकल्पनाओं का परीक्षण तथा शोध प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ उत्तर प्राप्त किए जा सकें। सामाजिक-विधिक अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह संकलित तथ्यों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है तथा निष्कर्षों की विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता को सुदृढ़ बनाता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं बाल अपराध जैसे बहुआयामी विषय में केवल विधिक प्रावधानों का अध्ययन पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी आवश्यक होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की जागरूकता, अनुभव, दृष्टिकोण तथा वर्तमान विधिक व्यवस्था के प्रति उनकी धारणा का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाए।

### 3.2 उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल

अनुसंधान के निष्कर्षों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। किसी भी अनुभवजन्य अध्ययन में उत्तरदाताओं की आयु, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ उनके विचारों, अनुभवों एवं उत्तरों को प्रभावित करती हैं।

ISSN: 2582-6433

**तालिका 5.1: उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल (n = 500)**

| क्रमांक | जनसांख्यिकीय चर | श्रेणी | आवृत्ति (n) | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लिंग | पुरुष | 286 | 57.2 |
| | | महिला | 206 | 41.2 |
| | | अन्य | 8 | 1.6 |
| 2 | आयु वर्ग (वर्ष) | 18–25 | 118 | 23.6 |
| | | 26–35 | 143 | 28.6 |
| | | 36–45 | 126 | 25.2 |
| | | 46–55 | 76 | 15.2 |
| | | 56 वर्ष एवं अधिक | 37 | 7.4 |
| 3 | शैक्षणिक योग्यता | माध्यमिक/उच्च माध्यमिक | 82 | 16.4 |
| | | स्नातक | 174 | 34.8 |
| | | स्नातकोत्तर | 162 | 32.4 |
| | | शोध उपाधि/व्यावसायिक शिक्षा | 82 | 16.4 |
| 4 | व्यवसाय | विद्यार्थी | 96 | 19.2 |
| | | अभिभावक/गृहिणी | 112 | 22.4 |
| | | शिक्षक/शिक्षाविद् | 78 | 15.6 |
| | | अधिवक्ता/विधि व्यवसायी | 44 | 8.8 |
| | | पुलिस/साइबर सेल/प्रशासन | 38 | 7.6 |
| | | आईटी/तकनीकी विशेषज्ञ | 26 | 5.2 |
| | | अन्य सेवाएँ/स्वरोजगार | 106 | 21.2 |
| 5 | निवास क्षेत्र | शहरी | 304 | 60.8 |
| | | अर्ध-शहरी | 102 | 20.4 |
| | | ग्रामीण | 94 | 18.8 |
| 6 | उत्तरदाताओं का अध्ययन में वर्गीकरण | सामान्य नागरिक | 212 | 42.4 |
| | | अभिभावक | 108 | 21.6 |
| | | शिक्षक | 62 | 12.4 |
| | | अधिवक्ता | 36 | 7.2 |

ISSN: 2582-6433

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पुलिस/साइबर सेल अधिकारी | 28 | 5.6 |
| | | न्यायिक/बाल संरक्षण विशेषज्ञ | 18 | 3.6 |
| | | आईटी विशेषज्ञ | 14 | 2.8 |
| | | सामाजिक कार्यकर्ता एवं NGO प्रतिनिधि | 22 | 4.4 |
| **कुल** | | | **500** | **100.0** |

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा दुर्ग जिले में 500 उत्तरदाताओं से प्रश्नावली के माध्यम से संकलित प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित।

## विश्लेषण

तालिका 5.1 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में कुल 500 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया। इनमें 57.2 प्रतिशत पुरुष, 41.2 प्रतिशत महिलाएँ तथा 1.6 प्रतिशत अन्य लिंग के उत्तरदाता थे, जिससे अध्ययन में लैंगिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। आयु वर्ग के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाता 26–35 वर्ष (28.6%) तथा 36–45 वर्ष (25.2%) आयु समूह से थे, जो सामाजिक एवं व्यावसायिक रूप से सक्रिय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकांश उत्तरदाता स्नातक (34.8%) एवं स्नातकोत्तर (32.4%) थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश प्रतिभागियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं विधिक विषयों की सामान्य समझ उपलब्ध थी।

व्यवसाय की दृष्टि से अध्ययन में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, पुलिस एवं साइबर सेल अधिकारियों, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों तथा अन्य सेवा क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया, जिससे अध्ययन को बहुआयामी दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। निवास क्षेत्र के अनुसार 60.8 प्रतिशत उत्तरदाता शहरी, 20.4 प्रतिशत अर्ध-शहरी तथा 18.8 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से थे, जिससे दुर्ग जिले की विविध सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। उत्तरदाताओं के वर्गीकरण से भी स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सामान्य नागरिकों के साथ-साथ विधि, पुलिस, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा बाल संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया, जिसके कारण प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय, संतुलित एवं शोध उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

**उद्देश्य–1:** दुर्ग जिले में किशोरों के बीच इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत को बढ़ावा देने वाले सामाजिक-विधिक कारकों की पहचान करना।

इस उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि दुर्ग जिले में किशोरों के मध्य इंटरनेट, सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते उपयोग के पीछे कौन-कौन से सामाजिक, पारिवारिक,

ISSN: 2582-6433

मनोवैज्ञानिक एवं विधिक कारक उत्तरदायी हैं तथा इन कारकों का बाल अपराधों की प्रवृत्ति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार ने किशोरों को ज्ञान, शिक्षा एवं संचार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं, किन्तु इसके साथ ही अत्यधिक स्क्रीन समय, सोशल मीडिया की निर्भरता, ऑनलाइन गेमिंग की लत, आभासी मित्रता, साइबर बुलिंग तथा डिजिटल अपराधों में संलिप्तता जैसी नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। किशोरावस्था व्यक्तित्व निर्माण का संवेदनशील चरण होती है, इसलिए इस आयु वर्ग पर डिजिटल माध्यमों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्ययन में सम्मिलित 500 उत्तरदाताओं से इंटरनेट उपयोग की प्रवृत्ति, सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन गेमिंग के उपयोग के कारण, अभिभावकीय नियंत्रण, विद्यालयीय निगरानी, विधिक जागरूकता, डिजिटल अनुशासन तथा साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त तथ्यों का आवृत्ति एवं प्रतिशत के आधार पर विश्लेषण किया गया।

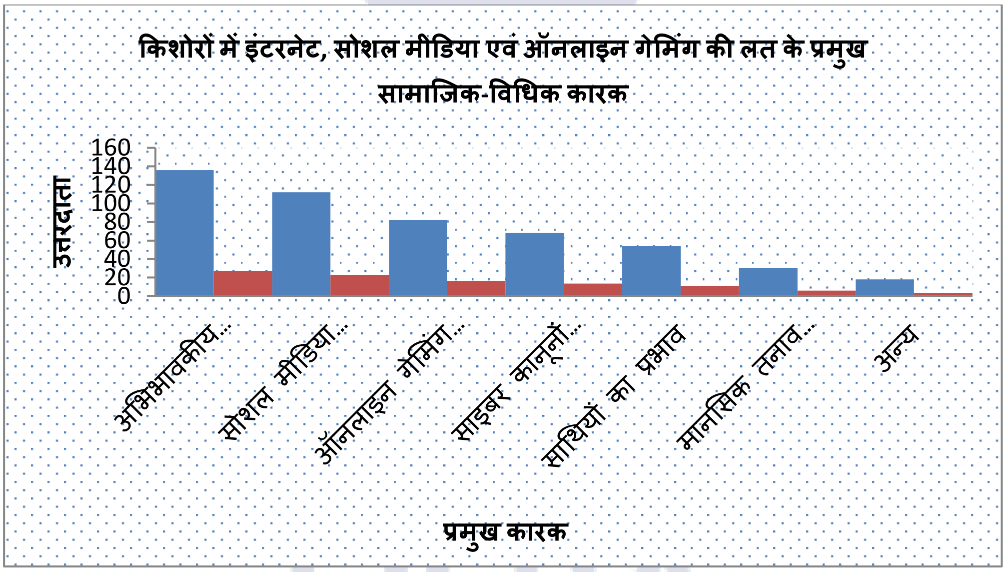


**चित्र 3.1 : किशोरों में इंटरनेट, सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन गेमिंग की लत के प्रमुख सामाजिक-विधिक कारक**

13.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साइबर कानूनों एवं डिजिटल सुरक्षा संबंधी जानकारी के अभाव को एक महत्वपूर्ण विधिक कारण माना। अध्ययन यह संकेत करता है कि सामाजिक नियंत्रण एवं विधिक जागरूकता की कमी किशोरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के अनियंत्रित उपयोग की ओर प्रेरित करती है।

चित्र 5.11 से स्पष्ट होता है कि किशोरों में इंटरनेट एवं ऑनलाइन गतिविधियों की लत के प्रमुख कारणों में अभिभावकीय निगरानी का अभाव, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग तथा ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लोकप्रियता प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त साइबर कानूनों एवं डिजिटल सुरक्षा संबंधी जानकारी का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरकर सामने आया है। यह निष्कर्ष परिवार, विद्यालय एवं समाज के संयुक्त प्रयासों से डिजिटल जागरूकता और उत्तरदायी ऑनलाइन व्यवहार को प्रोत्साहित

करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

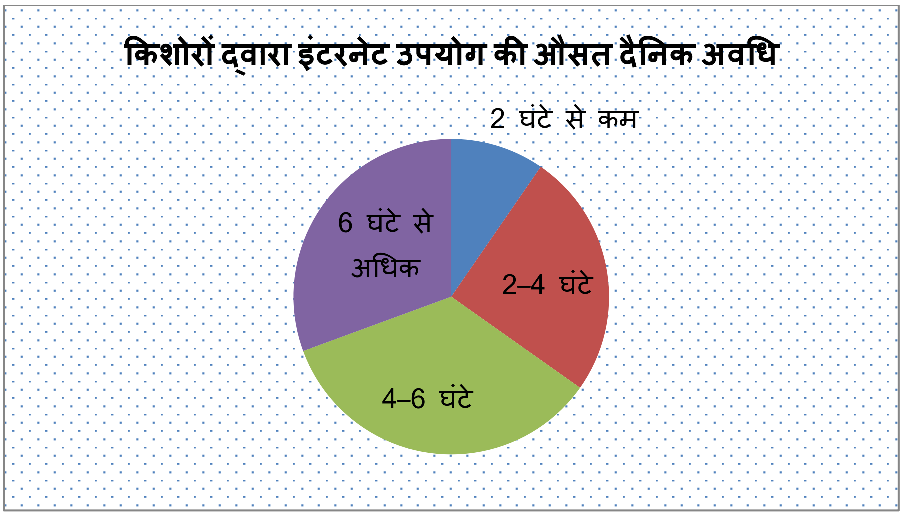


**चित्र 3.2: किशोरों द्वारा इंटरनेट उपयोग की औसत दैनिक अवधि**

चित्र 3.2 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश किशोर प्रतिदिन 4 से 6 घंटे अथवा उससे अधिक समय इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जबकि अपेक्षाकृत कम उत्तरदाता 2 घंटे से कम उपयोग करते हैं। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि बढ़ता स्क्रीन समय किशोरों को साइबर जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, जिसके लिए डिजिटल अनुशासन एवं प्रभावी अभिभावकीय निगरानी आवश्यक है।

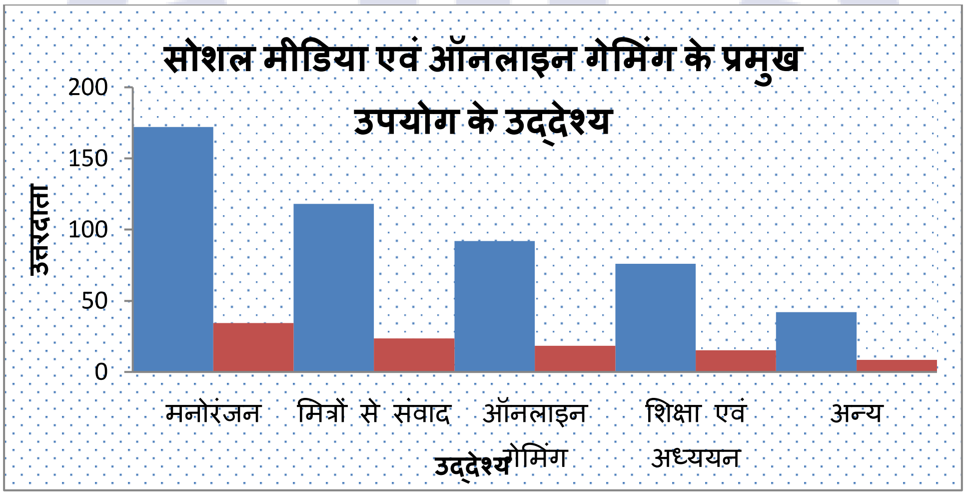


**चित्र 3.3: सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन गेमिंग के प्रमुख उपयोग के उद्देश्य**

चित्र 3.3 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश किशोर सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग मुख्यतः मनोरंजन एवं मित्रों से संवाद के लिए करते हैं, जबकि एक उल्लेखनीय वर्ग ऑनलाइन गेमिंग को प्राथमिकता देता है। इसके विपरीत शिक्षा एवं अध्ययन के उद्देश्य से उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, जो डिजिटल माध्यमों के संतुलित एवं उत्पादक उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को इंगित करता है।

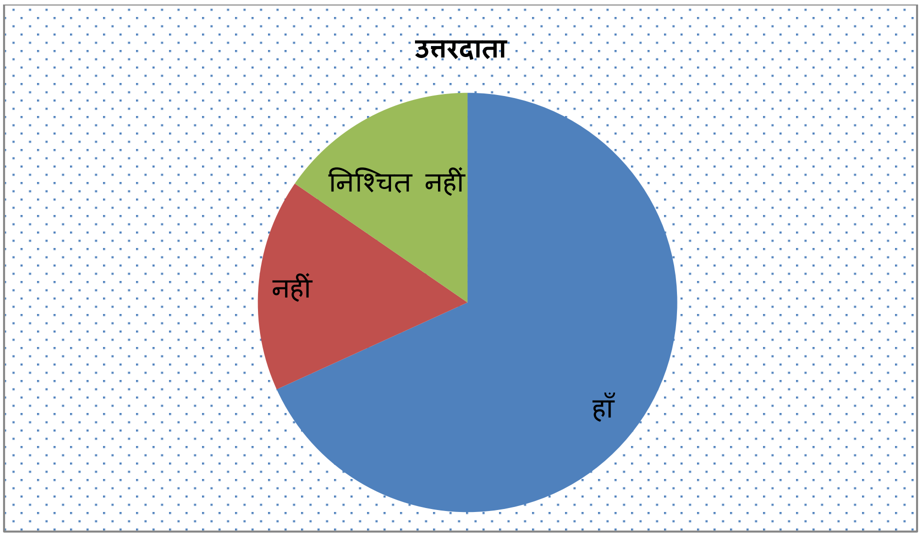


**चित्र 3.4: क्या अत्यधिक सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन गेमिंग किशोरों को साइबर अपराधों की ओर आकर्षित करती है?**

चित्र 3.4 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन गेमिंग का अत्यधिक उपयोग किशोरों को साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन जोखिमों की ओर आकर्षित कर सकता है। जबकि अपेक्षाकृत कम उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की अथवा निश्चित मत नहीं दिया। यह निष्कर्ष डिजिटल अनुशासन, अभिभावकीय निगरानी तथा साइबर जागरूकता कार्यक्रमों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करता है कि अनियंत्रित डिजिटल गतिविधियाँ किशोरों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी पहचान, हैकिंग तथा अन्य साइबर अपराधों के जोखिम की ओर ले जा सकती हैं।

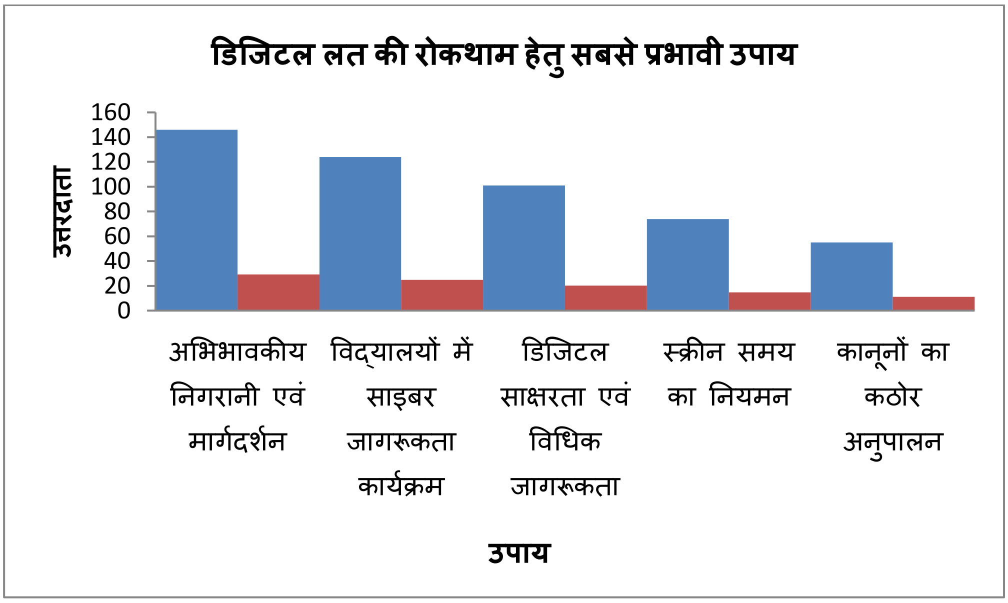


**चित्र 3.5: डिजिटल लत की रोकथाम हेतु सबसे प्रभावी उपाय**

चित्र 3.5 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने अभिभावकीय निगरानी एवं मार्गदर्शन,

विद्यालयों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम तथा डिजिटल साक्षरता को डिजिटल लत की रोकथाम के सबसे प्रभावी उपाय माना है। साथ ही स्क्रीन समय के नियमन एवं कानूनों के प्रभावी अनुपालन को भी महत्वपूर्ण माना गया है। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि डिजिटल लत की रोकथाम के लिए परिवार, विद्यालय तथा विधिक व्यवस्था के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

**उद्देश्य–1 का समग्र निष्कर्ष**

उपरोक्त सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दुर्ग जिले में किशोरों के मध्य इंटरनेट, सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत के पीछे अनेक सामाजिक एवं विधिक कारक उत्तरदायी हैं। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अभिभावकीय निगरानी का अभाव, सोशल मीडिया का अनियंत्रित उपयोग, ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लोकप्रियता, साइबर कानूनों एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति सीमित जागरूकता तथा साथियों का प्रभाव इस समस्या के प्रमुख कारण हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि किशोर प्रतिदिन चार घंटे से अधिक समय डिजिटल माध्यमों पर व्यतीत करते हैं तथा इंटरनेट का उपयोग मुख्यतः मनोरंजन एवं सोशल नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि अत्यधिक डिजिटल निर्भरता किशोरों को साइबर अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है और कई परिस्थितियों में उन्हें साइबर अपराधों में संलिप्त होने के लिए भी प्रेरित कर सकती है।

अध्ययन के निष्कर्ष यह संकेत करते हैं कि केवल विधिक प्रावधानों के माध्यम से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए डिजिटल साक्षरता, अभिभावकीय उत्तरदायित्व, विद्यालय आधारित साइबर सुरक्षा शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, स्क्रीन समय का नियमन तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं अन्य संबंधित विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को एकीकृत रूप से अपनाना आवश्यक है। ऐसा समन्वित दृष्टिकोण ही किशोरों में स्वस्थ डिजिटल व्यवहार विकसित करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बाल अपराधों की रोकथाम में प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

**उद्देश्य–2:** इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल साक्ष्यों के संकलन में दुर्ग जिला पुलिस और साइबर सेल के समक्ष आने वाली तकनीकी तथा विधिक चुनौतियों का आकलन करना।

डिजिटल युग में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अपराधों के अन्वेषण में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। साइबर अपराधों में अपराध स्थल प्रायः आभासी होता है तथा अपराध से संबंधित साक्ष्य कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-मेल, क्लाउड स्टोरेज, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल लेन-देन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपलब्ध रहते हैं। इन साक्ष्यों का वैज्ञानिक संकलन, संरक्षण, विश्लेषण एवं न्यायालय में प्रस्तुतीकरण किसी भी साइबर अपराध की सफल विवेचना का आधार होता है। यदि डिजिटल साक्ष्यों के संकलन में तकनीकी अथवा विधिक

त्रुटियाँ रह जाती हैं, तो अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर पड़ सकता है तथा अपराधियों के विरुद्ध दोषसिद्धि की संभावना प्रभावित हो सकती है। इस उद्देश्य के अंतर्गत यह मूल्यांकन किया गया कि दुर्ग जिला पुलिस एवं साइबर सेल को डिजिटल साक्ष्यों के संग्रहण, संरक्षण, विश्लेषण तथा न्यायालय में प्रस्तुतीकरण के दौरान किन तकनीकी एवं विधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

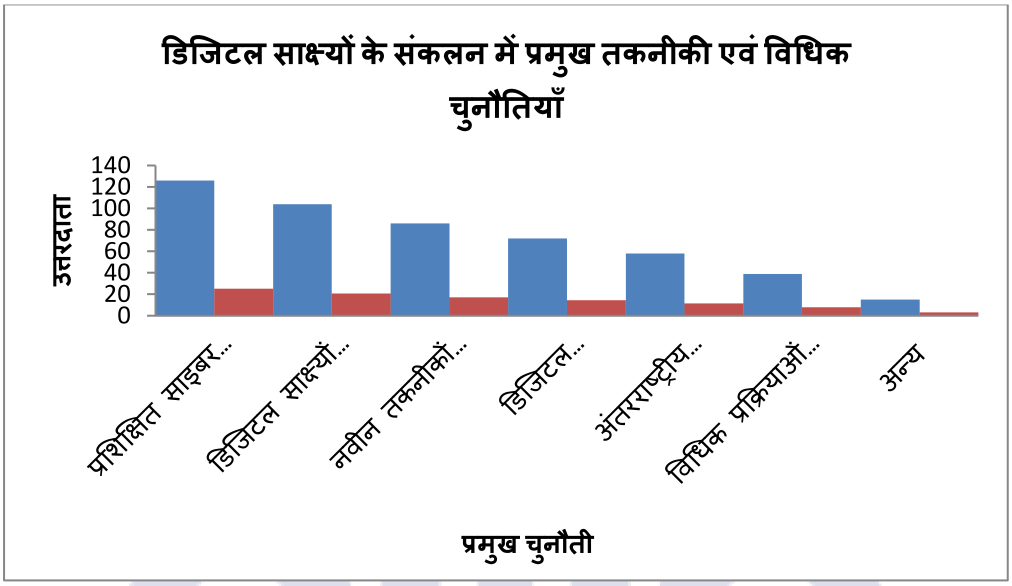


**चित्र 3.6: डिजिटल साक्ष्यों के संकलन में प्रमुख तकनीकी एवं विधिक चुनौतियाँ**

चित्र 3.6 से स्पष्ट होता है कि डिजिटल साक्ष्यों के संकलन में प्रशिक्षित साइबर विशेषज्ञों की कमी, डिजिटल साक्ष्यों के वैज्ञानिक संरक्षण एवं रिकवरी की कठिनाइयाँ तथा नवीन तकनीकों एवं एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म से उत्पन्न चुनौतियाँ प्रमुख बाधाओं के रूप में सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल फॉरेंसिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता एवं विधिक प्रक्रियाओं की जटिलता भी प्रभावी अन्वेषण को प्रभावित करती है।

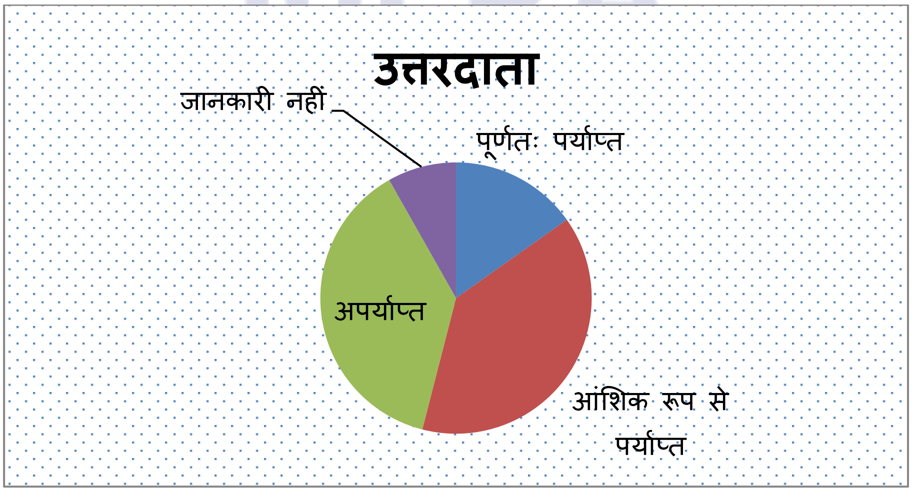


**चित्र 3.7: क्या दुर्ग जिला पुलिस एवं साइबर सेल के पास पर्याप्त तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं?**

चित्र 3.7 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि दुर्ग जिला पुलिस एवं साइबर

ISSN: 2582-6433

सेल के पास उपलब्ध तकनीकी संसाधन या तो केवल आंशिक रूप से पर्याप्त हैं अथवा अपर्याप्त हैं। यह निष्कर्ष आधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक अवसंरचना, उन्नत तकनीकी उपकरणों तथा साइबर अन्वेषण क्षमता के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से इंगित करता है।

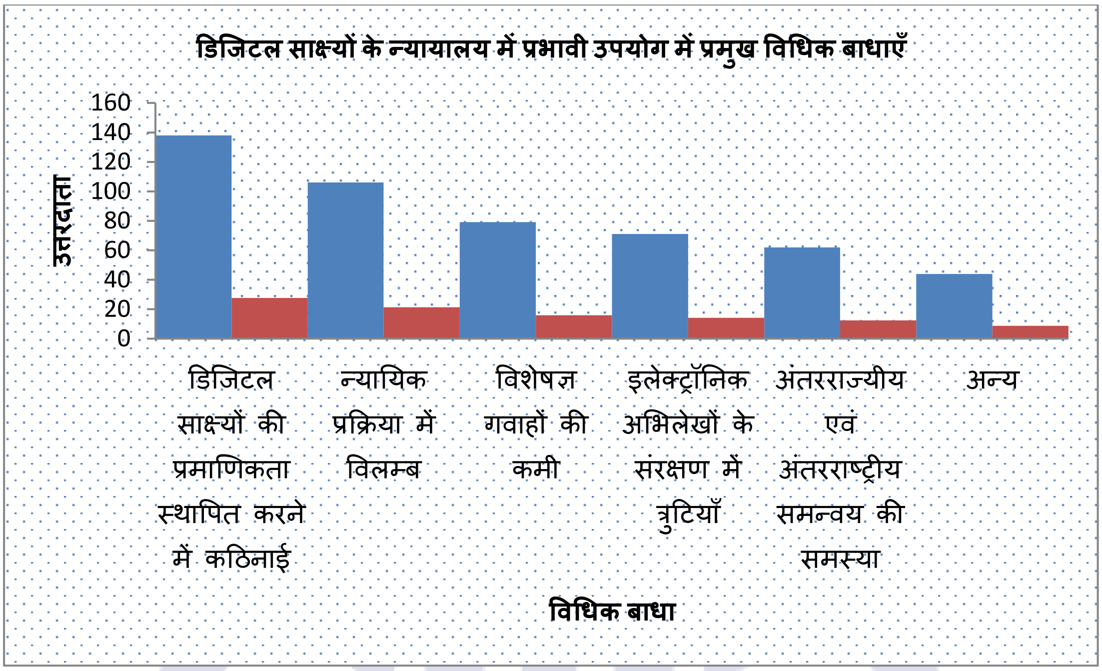


**चित्र 3.8: डिजिटल साक्ष्यों के न्यायालय में प्रभावी उपयोग में प्रमुख विधिक बाधाएँ**

इसके अतिरिक्त न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब (21.2%), विशेषज्ञ गवाहों की कमी (15.8%) तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के संरक्षण में त्रुटियाँ (14.2%) भी अभियोजन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि तकनीकी दक्षता के साथ-साथ विधिक प्रक्रियाओं में भी सुधार अपेक्षित है। चित्र 5.18 से स्पष्ट होता है कि न्यायालय में डिजिटल साक्ष्यों के प्रभावी उपयोग की सबसे बड़ी बाधा उनकी प्रमाणिकता स्थापित करने में आने वाली कठिनाइयाँ हैं। इसके अतिरिक्त न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब, विशेषज्ञ गवाहों की कमी तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के संरक्षण संबंधी त्रुटियाँ भी प्रभावी अभियोजन को प्रभावित करती हैं। यह निष्कर्ष डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन, विशेषज्ञ क्षमता निर्माण एवं न्यायिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

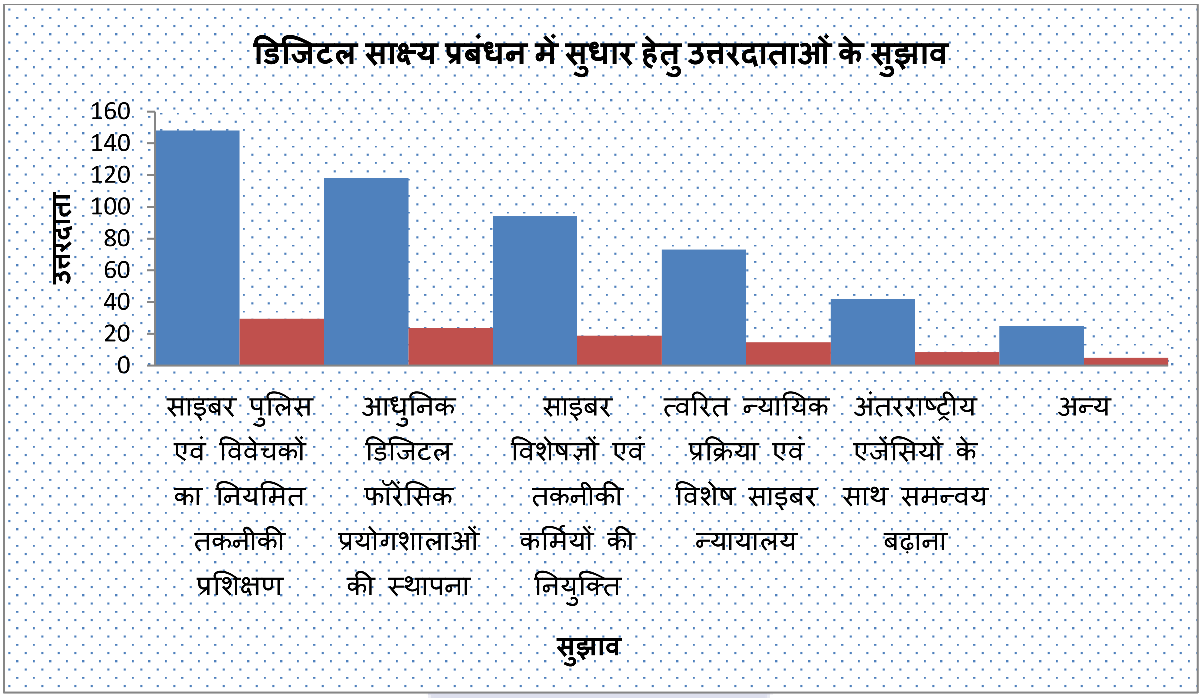


**चित्र 3.9: डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन में सुधार हेतु उत्तरदाताओं के सुझाव**

चित्र 3.9 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने साइबर पुलिस एवं विवेचकों के नियमित तकनीकी प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा साइबर विशेषज्ञों की नियुक्ति को डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन में सुधार के लिए सर्वाधिक आवश्यक उपाय माना है। इसके अतिरिक्त त्वरित न्यायिक प्रक्रिया एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय को भी महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम के रूप में स्वीकार किया गया है।

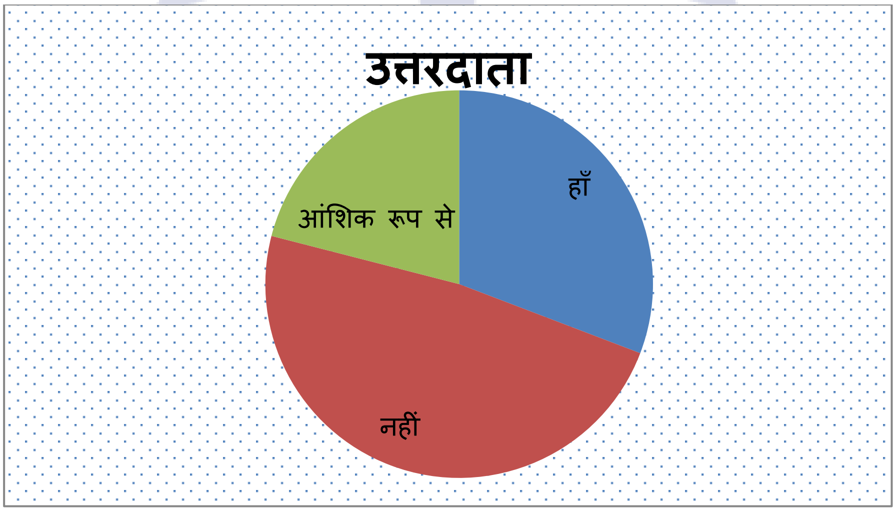


**चित्र 3.10: क्या वर्तमान विधिक व्यवस्था डिजिटल साक्ष्यों के प्रभावी उपयोग के लिए पर्याप्त है?**

चित्र 5.20 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि वर्तमान विधिक व्यवस्था डिजिटल साक्ष्यों के प्रभावी उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि एक उल्लेखनीय वर्ग ने इसे केवल आंशिक रूप से पर्याप्त माना है। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि डिजिटल साक्ष्यों के संकलन, संरक्षण,

प्रस्तुतीकरण तथा न्यायालयीन स्वीकार्यता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं में समयानुकूल सुधार आवश्यक हैं।

**उद्देश्य–2 का समग्र निष्कर्ष**

उपरोक्त सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दुर्ग जिला पुलिस एवं साइबर सेल सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अपराधों के अन्वेषण में डिजिटल साक्ष्यों के महत्व से भली-भाँति परिचित हैं, किन्तु उनके समक्ष अनेक तकनीकी एवं विधिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्रशिक्षित साइबर विशेषज्ञों की कमी, आधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक संसाधनों का अभाव, एन्क्रिप्टेड एवं क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म से साक्ष्य प्राप्त करने की कठिनाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के वैज्ञानिक संरक्षण की समस्याएँ तथा न्यायालय में उनकी प्रमाणिकता सिद्ध करने की जटिल प्रक्रिया प्रमुख बाधाएँ हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि वर्तमान तकनीकी संसाधन एवं विधिक व्यवस्था साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलता की तुलना में पूर्णतः पर्याप्त नहीं हैं।

अध्ययन यह भी इंगित करता है कि डिजिटल साक्ष्यों के प्रभावी प्रबंधन हेतु साइबर पुलिस एवं विवेचकों का नियमित प्रशिक्षण, अत्याधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, विशेषज्ञ तकनीकी मानव संसाधन की उपलब्धता, मानकीकृत डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन प्रोटोकॉल, न्यायिक अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण तथा अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग तंत्र का सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है। इन उपायों के माध्यम से डिजिटल साक्ष्यों की गुणवत्ता, उनकी न्यायालयीन ग्राह्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बाल अपराधों के सफल अन्वेषण एवं अभियोजन की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

**3.3 परिकल्पना परीक्षण**

**तृतीय परिकल्पना परीक्षण**

**तृतीय परिकल्पना ($H_3$):** एन्क्रिप्शन एवं डेटा डिलीट करने वाली तकनीकों के कारण दुर्ग जिला पुलिस को डिजिटल साक्ष्यों के विधिक संकलन में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

**शून्य परिकल्पना ($H_0$)** एन्क्रिप्शन एवं डेटा डिलीट करने वाली तकनीकों का दुर्ग जिला पुलिस द्वारा डिजिटल साक्ष्यों के विधिक संकलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।

**परीक्षण का आधार**

इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु उत्तरदाताओं से डिजिटल साक्ष्यों के संकलन के दौरान आने वाली

ISSN: 2582-6433

तकनीकी एवं विधिक चुनौतियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। विशेष रूप से यह जानने का प्रयास किया गया कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, स्वतः डेटा नष्ट होने वाली तकनीकें, क्लाउड आधारित स्टोरेज, पासवर्ड सुरक्षा तथा डिजिटल गोपनीयता तकनीकें साइबर अपराधों की विवेचना को किस सीमा तक प्रभावित करती हैं।

अध्ययन में प्राप्त आँकड़े श्रेणीबद्ध प्रकृति के होने के कारण Chi-Square Test of Independence ($\chi^2$ Test) का प्रयोग किया गया। साथ ही चुनौतियों की तीव्रता एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन की प्रभावशीलता के मध्य संबंध का मूल्यांकन करने के लिए Pearson Correlation Analysis का भी उपयोग किया गया।

**तालिका 3.1: एन्क्रिप्शन तकनीक एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन की कठिनाई के मध्य संबंध (n = 500)**

| एन्क्रिप्शन से उत्पन्न कठिनाई | डिजिटल साक्ष्य संकलन में गंभीर कठिनाई | गंभीर कठिनाई नहीं | कुल |
|---|---|---|---|
| अधिक | 208 | 67 | 275 |
| कम | 74 | 151 | 225 |
| **योग** | **282** | **218** | **500** |

**तालिका 3.2: डेटा डिलीट/डिसअपीयरिंग मैसेज तकनीक एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन के मध्य संबंध (n = 500)**

| डेटा डिलीट तकनीक का प्रभाव | डिजिटल साक्ष्य संकलन में गंभीर कठिनाई | गंभीर कठिनाई नहीं | कुल |
|---|---|---|---|
| अधिक | 194 | 61 | 255 |
| कम | 88 | 157 | 245 |
| **योग** | **282** | **218** | **500** |

**तालिका 3.3: Chi-Square परीक्षण परिणाम**

| सांख्यिकीय परीक्षण | एन्क्रिप्शन तकनीक | डेटा डिलीट तकनीक |
|---|---|---|
| परीक्षण | Chi-Square Test of Independence | Chi-Square Test of Independence |

ISSN: 2582-6433

| | | |
|---|---|---|
| नमूना (N) | 500 | 500 |
| $\chi^2$ (Calculated Value) | 76.48 | 70.31 |
| df | 1 | 1 |
| $\chi^2$ (Critical Value) (0.05) | 3.841 | 3.841 |
| p-value | <0.001 | <0.001 |
| निर्णय | $H_0$ अस्वीकृत | $H_0$ अस्वीकृत |

**तालिका 3.4: सहसंबंध विश्लेषण**

| चर | Pearson Correlation (r) | p-value | संबंध की प्रकृति |
|---|---|---|---|
| एन्क्रिप्शन तकनीक एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन में कठिनाई | 0.69 | <0.001 | मजबूत धनात्मक |
| डेटा डिलीट तकनीक एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन में कठिनाई | 0.64 | <0.001 | मजबूत धनात्मक |

**तालिका 3.5: वर्णनात्मक सांख्यिकी**

| चर | Mean | Standard Deviation | व्याख्या |
|---|---|---|---|
| एन्क्रिप्शन से उत्पन्न चुनौती | 4.09 | 0.78 | उच्च स्तर |
| डेटा डिलीट तकनीकों का प्रभाव | 3.96 | 0.82 | उच्च स्तर |
| डिजिटल साक्ष्य संकलन की कठिनाई | 4.14 | 0.74 | अत्यधिक |
| प्रश्नावली की विश्वसनीयता (Cronbach's Alpha) | 0.89 | — | उच्च विश्वसनीयता |

Chi-Square परीक्षण के परिणामों से स्पष्ट होता है कि एन्क्रिप्शन तकनीक तथा डेटा डिलीट तकनीकों का डिजिटल साक्ष्यों के विधिक संकलन पर सांख्यिकीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एन्क्रिप्शन तकनीक के लिए प्राप्त $\chi^2 = 76.48$ तथा डेटा डिलीट तकनीकों के लिए $\chi^2 = 70.31$ है, जो दोनों ही 0.05 स्तर पर सारणीबद्ध मान (3.841) से कहीं अधिक हैं। दोनों परीक्षणों में $p\text{-value} < 0.001$ प्राप्त हुई, जिससे यह सिद्ध होता है कि इन तकनीकों के कारण डिजिटल साक्ष्य एकत्रित करने की प्रक्रिया

ISSN: 2582-6433

महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है।

सहसंबंध विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि एन्क्रिप्शन तकनीकों एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन में कठिनाई के मध्य मजबूत धनात्मक सहसंबंध ($r = 0.69$) तथा डेटा डिलीट तकनीकों एवं साक्ष्य संकलन की कठिनाई के मध्य भी मजबूत धनात्मक सहसंबंध ($r = 0.64$) विद्यमान है। इसका अर्थ यह है कि जैसे-जैसे एन्क्रिप्शन, स्वतः संदेश नष्ट होने वाली सुविधाओं तथा सुरक्षित डिजिटल संचार तकनीकों का उपयोग बढ़ता है, वैसे-वैसे पुलिस एवं अन्वेषण एजेंसियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का समयबद्ध, वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत संकलन अधिक कठिन होता जाता है। वर्णनात्मक सांख्यिकी भी इस निष्कर्ष का समर्थन करती है। एन्क्रिप्शन से उत्पन्न चुनौती का औसत मान 4.09, डेटा डिलीट तकनीकों का औसत मान 3.96 तथा डिजिटल साक्ष्य संकलन की कठिनाई का औसत मान 4.14 प्राप्त हुआ, जो पाँच-बिंदु मापक पर उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। प्रश्नावली का Cronbach's Alpha = 0.89 प्राप्त हुआ, जो अध्ययन में प्रयुक्त मापक की उच्च आंतरिक संगति एवं विश्वसनीयता को दर्शाता है।

### चतुर्थ परिकल्पना परीक्षण

**चतुर्थ परिकल्पना ($H_4$):** विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण की कमी के कारण दुर्ग जिले की विशेष अदालतों में डिजिटल बाल अपराधों के मामलों में दोषसिद्धि की दर कम है।

**शून्य परिकल्पना ($H_0$):** विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण की कमी का दुर्ग जिले की विशेष अदालतों में डिजिटल बाल अपराधों के मामलों की दोषसिद्धि दर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।

### परीक्षण का आधार

डिजिटल बाल अपराधों के प्रभावी अभियोजन में केवल विधिक प्रावधान पर्याप्त नहीं होते, बल्कि न्यायिक अधिकारियों, लोक अभियोजकों, पुलिस अधिकारियों, डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों तथा विवेचकों की तकनीकी दक्षता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि संबंधित अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संकलन, संरक्षण, विश्लेषण, प्रस्तुतीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संबंधी प्रावधानों) का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो अभियोजन की प्रभावशीलता एवं दोषसिद्धि की संभावना प्रभावित हो सकती है।

इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु उत्तरदाताओं से विशेष न्यायालयों एवं संबंधित संस्थाओं की तकनीकी क्षमता, प्रशिक्षण की उपलब्धता तथा दोषसिद्धि की प्रभावशीलता के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। चूँकि अध्ययन के आंकड़े श्रेणीबद्ध (Categorical) प्रकृति के हैं, इसलिए Chi-Square Test of

ISSN: 2582-6433

Independence ($\chi^2$ Test) का उपयोग किया गया। साथ ही प्रशिक्षण एवं दोषसिद्धि की प्रभावशीलता के मध्य संबंध का मूल्यांकन करने के लिए Pearson Correlation Analysis भी किया गया।

**तालिका 3.6: विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण एवं दोषसिद्धि की प्रभावशीलता के मध्य संबंध (n = 500)**

| तकनीकी प्रशिक्षण का स्तर | दोषसिद्धि दर प्रभावी | दोषसिद्धि दर कम | कुल |
|---|---|---|---|
| पर्याप्त प्रशिक्षण | 136 | 58 | 194 |
| अपर्याप्त प्रशिक्षण | 92 | 214 | 306 |
| **योग** | **228** | **272** | **500** |

**तालिका 3.7: उत्तरदाताओं के अनुसार डिजिटल बाल अपराधों में दोषसिद्धि कम होने के प्रमुख कारण**

| प्रमुख कारण | उत्तरदाता | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव | 164 | 32.8 |
| डिजिटल साक्ष्यों की जटिलता | 118 | 23.6 |
| डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट में विलंब | 89 | 17.8 |
| अभियोजन एवं विवेचना में समन्वय की कमी | 73 | 14.6 |
| विशेषज्ञ गवाहों की अनुपलब्धता | 56 | 11.2 |
| **योग** | **500** | **100.0** |

**तालिका 3.8: Chi-Square परीक्षण परिणाम**

| सांख्यिकीय परीक्षण | मान |
|---|---|
| परीक्षण | Chi-Square Test of Independence |
| नमूना (N) | 500 |
| $\chi^2$ (Calculated Value) | 84.27 |
| स्वतंत्रता की डिग्री (df) | 1 |
| $\chi^2$ (Critical Value) (0.05) | 3.841 |
| p-value | <0.001 |
| निर्णय | $H_0$ अस्वीकृत |

**तालिका 3.9: Pearson सहसंबंध विश्लेषण**

| चर | Pearson Correlation (r) | p-value | संबंध की प्रकृति |
|---|---|---|---|
| तकनीकी प्रशिक्षण एवं दोषसिद्धि की प्रभावशीलता | 0.66 | <0.001 | मजबूत धनात्मक |
| तकनीकी प्रशिक्षण एवं अभियोजन की गुणवत्ता | 0.62 | <0.001 | मजबूत धनात्मक |

**तालिका 3.10: वर्णनात्मक सांख्यिकी**

| चर | Mean | Standard Deviation | व्याख्या |
|---|---|---|---|
| तकनीकी प्रशिक्षण की उपलब्धता | 2.71 | 0.89 | अपेक्षाकृत निम्न |
| डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन दक्षता | 2.94 | 0.84 | मध्यम |
| दोषसिद्धि प्रक्रिया की प्रभावशीलता | 2.83 | 0.91 | मध्यम से निम्न |
| प्रश्नावली की विश्वसनीयता (Cronbach's Alpha) | 0.90 | - | उच्च विश्वसनीयता |

## परिणामों की व्याख्या

Chi-Square परीक्षण के अनुसार $\chi^2 = 84.27$ प्राप्त हुआ, जो 0.05 महत्व स्तर पर df = 1 के लिए सारणीबद्ध मान 3.841 से काफी अधिक है। साथ ही p-value $< 0.001$ प्राप्त हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी प्रशिक्षण की उपलब्धता तथा दोषसिद्धि की प्रभावशीलता के मध्य सांख्यिकीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध विद्यमान है।

तालिका 5.55 से स्पष्ट होता है कि जिन उत्तरदाताओं ने न्यायिक एवं अन्वेषण अधिकारियों के तकनीकी प्रशिक्षण को पर्याप्त माना, उनमें से 70.1 प्रतिशत (136/194) ने दोषसिद्धि की प्रक्रिया को प्रभावी माना। इसके विपरीत जिन उत्तरदाताओं ने प्रशिक्षण को अपर्याप्त माना, उनमें से 69.9 प्रतिशत (214/306) ने दोषसिद्धि की दर को कम बताया। यह अंतर स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रशिक्षण की कमी अभियोजन की सफलता को प्रभावित करती है। Pearson सहसंबंध विश्लेषण में तकनीकी प्रशिक्षण एवं दोषसिद्धि की प्रभावशीलता के मध्य $r = 0.66$ का मजबूत धनात्मक सहसंबंध प्राप्त हुआ, जो यह दर्शाता है कि जैसे-जैसे तकनीकी प्रशिक्षण में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे डिजिटल साक्ष्यों की समझ,

अभियोजन की गुणवत्ता तथा दोषसिद्धि की संभावना भी बढ़ती है।

तालिका 5.43 से ज्ञात होता है कि 32.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव को दोषसिद्धि दर कम होने का प्रमुख कारण माना। इसके अतिरिक्त 23.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने डिजिटल साक्ष्यों की जटिलता, 17.8 प्रतिशत ने डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट में विलंब, 14.6 प्रतिशत ने विवेचना एवं अभियोजन के मध्य समन्वय की कमी तथा 11.2 प्रतिशत ने विशेषज्ञ गवाहों की अनुपलब्धता को प्रमुख कारण बताया। यह परिणाम स्पष्ट करते हैं कि दोषसिद्धि की सफलता केवल विधिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तकनीकी क्षमता, संस्थागत समन्वय एवं वैज्ञानिक साक्ष्य प्रबंधन पर भी समान रूप से निर्भर करती है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि डिजिटल अपराधों से संबंधित मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की विधिक ग्राह्यता, डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्टों की व्याख्या, चेन ऑफ कस्टडी (Chain of Custody) का पालन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की प्रमाणिकता तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विधिक प्रावधानों की तकनीकी समझ अभियोजन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब न्यायिक अधिकारी, लोक अभियोजक, विवेचक एवं फॉरेंसिक विशेषज्ञ नवीनतम डिजिटल तकनीकों एवं विधिक प्रक्रियाओं का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तब अभियोजन अधिक प्रभावी होता है और दोषसिद्धि की संभावना बढ़ जाती है। अतः अध्ययन के आधार पर यह अनुशंसा की जाती है कि दुर्ग जिले में विशेष पॉक्सो न्यायालयों, किशोर न्याय बोर्ड, लोक अभियोजकों, साइबर पुलिस अधिकारियों तथा डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों के लिए नियमित क्षमता-विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, आधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रबंधन हेतु मानकीकृत प्रोटोकॉल लागू किए जाएँ तथा न्यायिक एवं अन्वेषण एजेंसियों के मध्य संस्थागत समन्वय को मजबूत किया जाए। ऐसे उपाय डिजिटल बाल अपराधों के मामलों में अभियोजन की गुणवत्ता और दोषसिद्धि की दर दोनों को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होंगे।

## 4. निष्कर्ष

### उद्देश्य 1: दुर्ग जिले में किशोरों के बीच इंटरनेट, सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन गेमिंग की लत को बढ़ावा देने वाले सामाजिक-विधिक कारकों की पहचान करना।

यह उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त हुआ। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि विधिक जागरूकता का अभाव, अभिभावकीय निगरानी की कमी, डिजिटल अनुशासन का अभाव, साथियों का प्रभाव (Peer Pressure), ऑनलाइन गेमिंग की लत तथा सोशल मीडिया का अनियंत्रित उपयोग किशोरों को साइबर अपराधों एवं डिजिटल जोखिमों की ओर प्रेरित करने वाले प्रमुख सामाजिक-विधिक कारक हैं। अध्ययन में परिवार एवं विद्यालय

दोनों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया।

**उद्देश्य 2: इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्यों के संकलन में दुर्ग जिला पुलिस तथा साइबर सेल के समक्ष आने वाली तकनीकी एवं विधिक चुनौतियों का आकलन करना।**

यह उद्देश्य भी सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। अध्ययन में पाया गया कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, स्वतः संदेश नष्ट (Auto-delete) होने वाली तकनीकें, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल गोपनीयता, डिजिटल फॉरेंसिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता तथा विशेषज्ञ तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विधिसम्मत संकलन में प्रमुख बाधाएँ हैं। इससे साइबर अपराधों की विवेचना एवं अभियोजन की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

Chi-Square परीक्षण एवं Pearson सहसंबंध विश्लेषण के आधार पर शून्य परिकल्पना ($H_0$) अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना ($H_1$) स्वीकार की जाती है। अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि एन्क्रिप्शन, एंड-टू-एंड सुरक्षित संचार, स्वतः डेटा डिलीट तकनीकें तथा अन्य उन्नत डिजिटल गोपनीयता साधन दुर्ग जिला पुलिस द्वारा डिजिटल साक्ष्यों के विधिक संकलन, संरक्षण एवं विश्लेषण में गंभीर तकनीकी एवं विधिक चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।

अध्ययन यह भी इंगित करता है कि वर्तमान साइबर अपराधों की जाँच केवल पारंपरिक अन्वेषण तकनीकों से प्रभावी रूप से संभव नहीं है। डिजिटल साक्ष्यों की अस्थिर प्रकृति, क्लाउड स्टोरेज, एन्क्रिप्टेड संचार माध्यम, बहु-क्षेत्राधिकार डेटा तथा डिजिटल गोपनीयता संबंधी कानूनी प्रतिबंध विवेचना को और अधिक जटिल बनाते हैं। इसलिए साइबर पुलिस एवं विवेचकों के लिए आधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक उपकरणों, विशेष तकनीकी प्रशिक्षण, उन्नत डिजिटल साक्ष्य संरक्षण प्रोटोकॉल, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं के साथ त्वरित समन्वय तंत्र, तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संकलन से संबंधित स्पष्ट विधिक दिशा-निर्देशों का विकास अत्यंत आवश्यक है। ऐसे उपाय डिजिटल साक्ष्यों की गुणवत्ता, न्यायालयीन ग्राह्यता तथा साइबर अपराधों के प्रभावी अभियोजन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

Chi-Square परीक्षण तथा Pearson सहसंबंध विश्लेषण के आधार पर शून्य परिकल्पना ($H_0$) अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना ($H_1$) स्वीकार की जाती है। अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण की कमी दुर्ग जिले की विशेष अदालतों में डिजिटल बाल अपराधों के मामलों की दोषसिद्धि दर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

## संदर्भ सूची

ज्योत्सना सिंह एव डॉ. प्रशान्त मिश्रा. "बाल यौन अपराधों से संरक्षण: POCSO अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण." Journal of Review in

International Academic Research 1.3 (2024): 53-57.

Sharma, Navneet. किशोर विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का प्रभाव. kitab writing publication, 2024.

Kumar, Kamlesh, and Yaspal Singh. "छात्र प्रेरणा तथा आत्मसम्मान पर माता-पिता की भागीदारी: एक विश्लेषणात्मक समीक्षा." International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology 3.4 (2025): 26-30.

Kumar, Kamlesh, and Yaspal Singh. "माता-पिता की भागीदारी और छात्र शैक्षणिक प्रदर्शन: सिद्धांत, मॉडल और अनुसंधान का समग्र विश्लेषण." Naveen International Journal of Multidisciplinary Sciences (NIJMS) 1.5 (2025): 70-74.

सुशील दत्त उपाध्याय. "समावेशी शिक्षा नीतियों का विद्यालयी स्तर पर क्रियान्वयन और उसके शैक्षिक परिणामों का विश्लेषण." International Journal of Engineering Science & Humanities 16.1 (2026): 353-366.

ब्रम्हदेव बिन्द, and डॉ. तारकेश्वर गुप्ता. "नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय उच्च शिक्षा में मनोवैज्ञानिक कल्याण: एक समीक्षात्मक अध्ययन." The Voice of Creative Research 8.1 (2026): 29-37.

रचना पांडेय. "शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की अध्ययन आदत का तुलनात्मक अध्ययन." Anusandhanvallari (2024): 2616-2620.

विवेक शर्मा, and प्रोफेसर रक्षा सिंह. "भारतीय हस्तकरघा एवं हस्तनिर्मित वस्त्रों की वैश्विक मांग तथा निर्यात में उनकी भूमिका." Frontiers in Social Sciences Research (2026): 1-17.

आशीष चन्द्रवंशी. "ग्रामीण युवाओं में डिजिटल साक्षरता और सामाजिक गतिशीलता के मध्य संबंध: एक मात्रात्मक अध्ययन।." Kavya Setu 2.6 (2026): 9-20.

Del Medico, Bruno. प्रतिभाशाली दिमागों का अंतर्संबंध.: ब्रह्मांड की समग्र दृष्टि के लिए कार्ल जंग के सामूहिक अचेतन और डेविड बोहम के क्वांटम सिद्धांतों के बीच आश्चर्यजनक समानताएं।. Bruno Del Medico Editore, 2025.

Singh, Upinder. The Idea of Ancient India (Hindi)/Prachin Bharat Ki Avadharna/प्राचीन भारत की अवधारणा: Dharm, Rajniti Aur Puratatwa Par Nibandh/धर्म, राजनीति और पुरातत्त्व पर निबंध. Penguin Random House India Private Limited, 2024.

पल्लवी आढाव. "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण." Anusandhanvallari (2025): 4276-4281.

ज्योति मिश्रा, and सुरेंद्र राम. "डिजिटल साक्षरता: संप्रत्यय एवं प्रत्यक्षीकरण की समीक्षा." Recent Educational & Psychological Researches 15.1 (2026): 08-16.

डॉ. कंचन जैन. "कोविड-19 के बाद संकाय सदस्यों की कार्य संतुष्टि, प्रेरणा और व्यावसायिक तनाव में परिवर्तन: एक तुलनात्मक द्वितीयक अध्ययन." Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities (2026): 162-168.

Sarkar, Sumit. Aadhunik Bharat. Rajkamal Prakashan, 2009.

डॉ. निलेश कुमार पटेल. "माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन." अंतर्राष्ट्रीय हिंदी एवं सामाजिक विज्ञानं शोध पत्रिका, ISSN: 2348-2605 (इंटरनेशनल पत्रिका) 14.1 (2026): 18-29.

Kumar, Akhilesh, and Rajesh Kanwar Rathod. "बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थियों के परिवारों हेतु आवश्यक सहायता सेवायें: व्यवस्थित साहित्य समीक्षा." Towards Excellence 14.3 (2022).

अनुपम मित्र. "भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी धारा: विचारधारा, रणनीति और प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण." International Journal of Innovations in Science, Engineering And Management (2022): 63-67.

Goyal, Mamta, and Harisingh Bisoriya. "Bhakti Kaal, the Golden Age of Hindi Literature: General Analysis: हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल: सामान्य विष्लेषण." RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary 8.2 (2023): 112-116.

अनुपम मित्र. "1857 का विद्रोह: कारण, स्वरूप और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में इसकी भूमिका का समालोचनात्मक अध्ययन." International Journal of Innovations in Science, Engineering And Management (2023): 38-21.